(1)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/8361
दिनांक : 29.8.2019

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– निजि क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019–2020 के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 23 अगस्त 2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निजि शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र 2019–2020 हेतु पूर्व की भांति प्रथम वर्ष हेतु रूपये 51,250/– व द्वितीय वर्ष हेतु रूपये 30,000/– का शुल्क का निर्धारण किया गया है।

अतः शासनादेश के आलोक में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

29-8-19

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

(2)

संख्या–363 / सत्तर–7–2019–बी0एड0(16) / 2011

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2– कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनॉकः 23 अगस्त, 2019

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019–20 के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–'6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या–1561 / सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या–2463 / 2008–सोलह–ए–5 (डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयकम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20–08–2019 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई।

2– समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–बी0एड0–09 / सत्तर–3–2014–बी0एड0(16) / 2011 दिनांक 29 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250 / –तथा द्वितीय वर्ष के लिए रू0 30,000 / –पाठ्यक्रम शुल्क को पुर्ननिर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यकम हेतु इस वर्ष बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप वर्तमान सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यकम में कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार किया गया। इस तथ्य को छात्र–छात्राओं में बी0एड0 के प्रति अभिरूचि / मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यकम के वर्तमान सत्र 2019–20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250 / –तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000 / –निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या–363(1) / सत्तर–7–2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

2– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– अपर अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई–मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।

7– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।